MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Fifty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 16th March, 1983."

The motion was adopted.

RESOLUTION *RE*: 'RIGHT TO WORK' AS FUNDAMENTAL RIGHT —*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following Resolution moved by Shri Chandulal Chandrakar on the 4th March, 1983:

"With a view to solving the unemployment problem, this House recommends to the Government to take steps to include 'Right to Work' in the Constitution as a Fundamental Right."

Shri Chandulal Chandrakar to continue.

श्री चन्दुलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रस्ताव है वह इस प्रकार है :

"कि बेरोजगारी समस्या का समाधान करने के लिए यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह काम के अधिकार को संविधान में, मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने के लिए कार्यवाही करे ।"

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं कि संविधान में हमको बोलने की, लिखने की और पूजा करने आदि की स्वतंत्रता है। लेकिन हम सभी जानते है कि हर आदमी को, इन्सान को, सब कुछ मिल जाए लेकिन अगर उसको भोजन नहीं मिले, दिन भर काम करने के बाद उसको खाना न मिले तो वह कैसे रह सकता है । कोई एक अच्छा नागरिक भी हो, ईमानदार नागरिक भी हो और वह अच्छा नागरिक रहना भी चाहता है तो भी उसे अच्छा नागरिक रहने के लिए भरपेट भोजन अवश्य चाहिए । अगर उसको यह नहीं मिलता है तो वह गलत काम करने के लिये बाध्य होता है । उसे अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए गलत या सही कदम उठाने पड़ते हैं ।

संविधान में हमें जो अधिकार दिये गये हैं, उस समय के संविधान बनाने वालों ने शायद इस बात को अनुभव नहीं किया कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ सकती है । आप सभी जानते हैं और मैं समझता हूं कि इसके बारे में किसी को भी बहुत अधिक समाधान करने की आवश्यकता नहीं है कि देश में कितने जोरों से बेरोजगारी बढ़ रही है । वैसे तो कई प्रमुख समस्यएं हैं लेकिन आज की परिस्थिति में बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई आबादी सब से बड़ी समस्या है । ये दो समस्याएं ही देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं । इनमें से भी बेरोजगारी की जो समस्या है, यह तो बहुत खतरनाक है और यह बहुत उग्र रूप धारण करती जा रही है । इस सिलसिले में मैं अपने विचार रखना बहुत जरुरी समझता हूं । इस प्रस्ताव के जरिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है, उसको हम कैसे हल करें ।

आज बेरोजगारी सब तरफ बढ़ रही है । कामदिलाऊ दफ्तर या रोजगार कार्यालय जो देश भर में हैं, उनके आंकड़े अगर आप पढ़ें तो उनसे आप पायेंगे कि देश में तीन करोड़, ढाई करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हैं । आप सभी जानते हैं कि यह आंकड़े कितने सही हैं ।

सभापति जी, मुख्य बात यह है कि बहुत से लोग जो बेरोजगार होते हैं

[श्री चन्दुलाल चन्द्राकर]

वे अपना नाम लिखाते ही नहीं है ! ग्रजुएट लिखाते भी हैं, उन्हें कुछ समय का, पार्ट टाइम काम करने को मिल जाता है लेकिन स्वाभाविक है कि व अच्छा काम चाहते हैं ।

15.35 hrs.

[SHRI R. S. SPARROW *in the rhair*]

ये आंकड़े सही स्थिति का दर्पण नहीं है । यह समस्या आंकड़ों से भी अधिक भयंकर है । इस देश की जनसंख्या 70 करोड़ है और इसमें 14 करोड़ परिवार हैं । इसमें कुछ लाख परिवारों को छोड़कर शेष परिवारों में यह समस्या किसी न किसी रूप में विद्यमान है । कुछ बेरोजगार हैं, किसी को वेतन कम मिलता है । वे पढ़े लिखे हैं काम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनको रोजगार नहीं मिलता । इसमें उनकी कोई गलती नहीं है । उनको काम देने के बारे में संसद सदस्यों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

आप सभी जानते हैं कि इस समस्या की वजह से कई और समस्याएं भी खड़ी हो चुकी हैं । बेरोजगारी से तग आकर कई लोग अपराध करने लगे हैं । इन सब चीजों को देखते हुए संविधान में काम देने के अधिकार को शामिल कर लिया जाना चाहिए ।

बहुत से लोग कहेंगे कि 70 करोड़ आबादी है उसमें प्रत्येक परिवार के व्यक्ति को किस तरह से रोजगार दिया जा सकता है । इससे 14 करोड़ लोगों को रोजजार देने की आवश्यकता पड़ेगी जो चुनौती है । लेकिन हमारा देश हमेशा चुनौतियों का सामना करता रहा है । चाहे पुराने समय में संत महात्मा रहे हों या आज के हमारे नेता हों । हमारा देश डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को मानता है । लोग पढ़े लिखे हैं और उनके अंदर काम करने की इच्छा है । कुछ लोग शारीरिक काम करने के लिये तैयार हैं । कई लोहे के कारखानों और खदानों में काम करना चाहते हैं । कई पटवारी का काम करने में सक्षम हो सकते हैं । लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती ।

शहर के लोग दो चार दिन में रोजगार कार्यलय जा सकते हैं । लेकिन जरुरी नहीं की उनको नौकरी मिल जाए पर जो गांवों में रहते हैं वे तो एक बार नाम लिखाकर चले जाते हैं और फिर जब तक उनके पास कोई पत्र नहीं पहंचता तब तक वे पता करने नहीं आ सकते । करोड़ों की संख्या में इस देश में बेरोजगार हैं उनको काम करने का अवसर नहीं मिल पाता ।

यदि सविधान के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने की व्यवस्था कर दें तब भी कई कानूनी कठिनाइयां उपस्थिति हो सकती हैं । प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने में कई कानूनी अड़चनें आ सकती हैं ।

अब समय आ गया है कि कानूनी कठिनाईयों को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं । पहली बात तो यह है कि हम संविधान में सशोधन करें कि हरेक व्यक्ति को काम के अधिकार दिए जाएं । मुझे पूरा यकीन है इस संशोधन के लिए दोनों पक्ष के सदस्य समर्थन करेंगे । आज कल बेरोजगारी की समस्या देश के हर परिवार में, हर गांव में और हर जगह व्यापत है । इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर जो आज गैर-सरकारी रूप में रखा गया है, गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ।

आप जानते हैं कि आज जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, वे कब तक धैर्य रख सकते हैं। एक समय आ सकता है जब वे अपना धैर्य खो बैठेंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे हमारे देश के लोकतंत्र की नींव पर धक्का पहुंचेगा। इसलिए, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे संविधान में संशोधन करने के लिए इस प्रस्ताव का अवश्य समर्थन करें। यदि 500 की आबादी का गांव है तो वहां 50–60 ही शिक्षित होते हैं और पांच हजार की आबादी का गांव हो तो मुश्किल से एक हजार युवक-युवतियां ही पढ़े लिखे होंगे।

हमारी शिक्षा प्रणाली भी इस प्रकार की है कि जो दफ्तरों में बैठकर नौकरी करना चाहते हैं, वे ही स्कूल और कालेजों से पढ़कर निकलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा प्रणाली में अवश्य परिवर्तन होना चाहिए। गांवों में जो स्कूल और कालेज हैं वहां शिक्षकों की बहुत कमी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां विज्ञान के शिक्षकों की बहुत कमी है। जो विज्ञान के शिक्षक हैं वे गांवों की अपेक्षा शहरों में रहना ज्यादा पसन्द करते हैं। इसलिए जब गांव और शहर के लड़कों को परीक्षा में बैठाते हैं तो शहर वाले ज्यादा पास होते हैं। इन दोनों में कोई समानता नहीं है। हम कहते हैं कि सबको समान अधिकार मिलेगा। लेकिन जब परीक्षा में बैठाते हैं तो क्या वह समान है? गांव में ऊंचे दर्जे की पढ़ाई नहीं होती है इसलिए वहां बेरोजगारी अधिक है कहने का तात्पर्य यह है कि बरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि नौकरी के लिए इतिहास, भूगोल मत पढ़ाओ बल्कि उसकी जगह लेथ मशीन या अम्बर चरखा रख दीजिए और उसी तरह से उद्योग लगा दीजिए। आप देखेंगे कि पचास परसेन्ट से ज्यादा लड़के स्वावलम्बी हो जाएंगे। वह खुद अपने आप कमा सकता है। इसलिए स्कूलों में पढ़ाई की प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिये। वैसे बहुत सी कमेटियां और कमीशन बने, उनकी रिपोर्टस आयीं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के स्कूलों और कालेजों को 6 महीने, साल भर बन्द भी कर के व्यावहारिक शिक्षा दी जाय ताकि वहां से निकले हुए बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें तो इससे बेरोजगारी दूर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। मेरे प्रस्ताव का यही मतलब है कि देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है और जो आगे चल कर लोकतंत्र प्रणाली को खतरा हो सकती है इसको ध्यान में रख कर हमें आर्टिकिल 19 में जहां और मूल अधिकार दिये गये हैं, उनमें काम के अधिकार को भी शामिल किया जाय। हम तो मानते हैं कि जो हिन्दुस्तान में पैदा होता है वह हमारा नागरिक है और इसलिये सब को समान अधिकार देना चाहिये। फिर रोजगार के समान अवसर से कैसे वंचित कर सकते हैं? इसी बात को ध्यान में रख कर यह प्रस्ताव रखा गया है और सदन के सभी सदस्यगण इसका समर्थन करेंगे। जिस समय संविधान बनाया गया था तब इन बातों को नहीं सोचा गया था लेकिन आज जो देश की आवश्यकता है उसमें बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिये जो मेरा प्रस्ताव है मुझे विश्वास है सदन के सभी सदस्य उसको स्वीकार करेंगे।

MR CHAIRMAN: Some of the hon. members have given their amendments. Shri Bhogendra Jha—not present; Shri Satyanarayan Jatiya—not present.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): I beg to move:

"Tht in the resoultion,—

add at the end—

"and as women's employment is disproportionally and disastrously low at least 25 per cent of all the jobs be reserved for women." (5)

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): I beg to move:

"That in the resolution,—

add at the end—

"and to bring forward necessary amendments to the Constitution for this purpose in the current Session." (2)

SHRI SUDHIR GIRI (Contai): I beg move:

"That in the resolution,—

for "take steps" *substitute*—

"amend the Constitution suitably so as." (1)

Mr. Chairman, I fully support the resolution which has been brought forward by my hon. friend because I am of the opinion that the unemployment problem in India has assumed such a magniude that if we do not solve this problem immediately and if we do not take suitable measures towards the solution of this problem, the whole nation has to face the consequences of it.

What are the factors which have led to such a situation in which people do not find jobs even though they want to have jobs?

As far as we know, there was a time when the people were free to enjoy the natural fruits and water etc., which were so necessary for the maintenance of the daily necessities of life. But subsequently, that situation has changed. The people in authority have assumed power and have curbed the means of production and that is why the people have been at a loss as to how to find their jobs, or even how to live at all. But we should remember at this stage, that we are living in a human society and not in other societies of inferior animals. We have our level of consciousness whcih is higher than the level of consciousness of the lower level of animals. Therefore, I should say that in the feual society, the landlords crabbed the means of production and used to employ the people for their own benefit and in the capitalist society also we find that people are grabbing the means of production and making the people who seek job jobless.

Sir, in India the British Empire exploited the whole nation, looted the nation and the brave Indian people fought against them, and now we have to fight against the landlords in the villages and we have to fight against the imperialist forces and we have to fight against the system of development of life. If we do not fight against all these forces which are acting detrimental to the interests of deserving people who are searching for jobs we shall not be in a position to solve the unemployment problem.

Sir, as regards the unemployment problem, what does our Plan document say? The Plan document has formulated a policy. I am quoting here from page 207, para 13.28 where the Planning Commission has formulated the Employment Policy. I quote—

"...The employment opportunities have not been adequate in the recent past either for the educated manpower or for the overall population. Even in terms of long term unemployment as indicated by the usual status estimates, the position has not been satisfactory. Therefore, the employment policy during the Sixth Plan has to meet the two major goals of reducing under-employment for the majority of labour force and cutting down on the long term unemployment. Though a lasting solution to these problems could be found only within the framework of a rapid and

employment-oriented economic growth, suitable measures have also to be evolved in the short term in a co-ordinated way particularly for the benefit of the weaker sections..."

And towards the solution of this problem, the Planning Commission has said that the present estimates show that employment on the basis of the standards of two years will grow at 4.17 per cent per annum in the Sixth Plan period, that is, at a rate much higher than the growth of the labour force or 2.50 per cent per annum over the same period. And towards this policy, they have formulated different projects and these have been enumerated at page.... (*Interruptions*). However, as the time is short, I am not pointing out all those things.

Sir, even after the completion of the Fifth Five Year Plan, and even after the lapse of three years of the Sixth Five Year Plan, the backlog of the unemployment has been accumulating and what has the Planning Commission done? The Planning Commission has estimated the number of unemployed on the basis of the Dantawale Committee Report, a Committee of experts on unemployment estimates, and of the National Sample Survey Organisation. The Dantwala Committee is wrong because this Committee has not been able to find out the exact number of unemployed in the country. Depending on the Dantwala Committee recommendations, the Planning Commission has estimated that in 1980 the number of unemployed would be 129.61 million and in 1985 it would increase to 185.339 million. From this you can imagine the magnitude of this problem. In order to solve this problem, the hon. Member has suggested that the right to work should be included in the Chapter of Fundamental Rights of our Constitution. In order to include it as a fundamental right we have to change the social system and economic and fiscal policies; otherwise, we will not be able to solve the problem of those people who are living below the poverty line and are facing tremendous unemployment problem. In order to bring about fiscal and economic changes and to provide more employment opportunities to the people, Government will have to take necessary measures like expanding the internal market, increasing the purchasing power of the people, relying on self-reliant growth of our economy and stopping imports. We have to depend upon ourselves.

MR. CHAIRMAN: The time is very limited. Please touch the main features of the main recommendations.

SHRI SUDHIR GIRI: I am just finishing.

I think, the only way to solve the unemployment problem is to adpot the socialist system of development and growth. Without it the unemployment problem cannot be solved. In this regard I want to quote what Pandit Jawaharlal Nehru had said in his Presidential address before Lucknow Congress on 12 April, 1936:

> "I am convinced that the only key to the solution of the work's problems and of India's problems lies in socialism, and when I use this word, I do so not in a vague humanitarian way but in the scientific, economic sense. Socialism is, however, something even more than an economic doctrine; it is a philosophy of life and as such also it appeals to me. I see no way of ending the poverty, the vast unemployment, the degradation and the subjection of Indian people except through socialism. That involves vast and revolutionary changes in our political and social structure, the ending of vested interests in land and industry, as well as the feudal and the autocratic Indian State system. That means the ending of private property except in a restricted sense, and the replacement of the present profit system by a higher ideal of cooperative service. It means ultimately a change in our instincts and habits and desires. In short, it means a new civilisation radically different from the present capitalist order."

MR. CHAIRMAN: As pointed out earlier, there are many speakers. The main point you have already brought out.

SHRI SUDHIR GIRI: I will take only 2 minutes more. In our Directive Principles chapter in the Constitution, the founding fathers were alike to the gravity of the unemployment problem. They were also conscious of the inequalities in income.

[Shri Sudhir Giri]

That is why they included the chapter on Directive Principles of State Policy. In U.S.A., all the citizens have been guaranteed the right to work. Not only they have been guaranteed right to work, they have been guaranteed right to rest and recreation. They have been guaranteed leisure also. Their housing problems, their health prbolems, all these things have been tackled in such a way that they have been given the freedom or they have been given the right to enjoy all these benefits. On the basis of this, I would suggest that there should be created a Central Employment Fund in which subscriptions should come from the industrial employers, the Central Government, the State Governments, the nationalised banks and the public sector undertakings.

The Government may also consider the imposition of a cess at a rate of two or three per cent of the average turnover of the last three years. The Fund should be used for creating employment opportunities for the people.

One more sugestion is that pending the inclusion of the right to work in our Constitution the Government of India should make provision for the unemployment allowances to the people, at least to the educated people. With this, I thank you.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak. As you have said that I should concentrate on a specific point, I shall concentrate on a very specific subject, may be controvertial, that the House will consider. I want that at the end of this Resolution be added 'and as women's employment is disproportionately and disastrously low at least 25 per cent of all the jobs be reserved for women'. The reason for it you will be knowing is that since 1951 women's percentage in organised industry is going down and down. Jute has driven out almost all the women, textiles have driven out. Even during the Interantional Women's Year we discussed these things and noticed that there is the declining trend. Now this is the decade. Again in tobacco industry. 5000 women are going to be retrenched. That is the situation. Even public sector undertakings like BCCL are also retrenching women. I understand that the Railways and banks etc. who are to go in for new machinery, may also throw out more women. This is the declining trend with industrial expansion, you may think, because of some women going here and there, that probably the general women's percentage is increasing. That is not a fact. Due to shortage of time, I do not want to illustrate with figures. I will try to point out the seriousness of the situation. The other day I had put a question in Parliament enquiring about the working of the Apprenticeship Act. Would you believe that in the year 1982, the percentage of women apprentices under the Apprenticeship Act in the Central sector establishments, was only 0.9? This figure is given by the Government. So, you just imagine the disparity. This is the situation with regard to employment of women opening of new avenues for giving them more and more employment. This is also the social attitude prevailing in the society. This discrimination is practised not only by the private industry but also by the Government undertakings. That is why I feel that we shall never get out of this situation unless we have a statutory stipulation of reservation of at least 25 per cent of the jobs for women.

SHRI MOOL CHAND DAGA: Why not 50 per cent?

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: That will be the ideal thing. I will be only too glad if you accept the concept of 50 per cent. I have not put it, because I have no hope of your accepting it. That is why I say that at least 25 per cent of the posts must be reserved for women. This is not a matter of joke. Under the Apprenticeship Act only 0.9 per cent of women have been provided employment or apprenticeship. This being the general situation, for promoting the further employment of women, to prevent their being driven out of organised industry, for getting them a better percentage of employment in the public sector undertakings, It is absolutely essential that at least 25

[Smt. Geeta Mukherjee]

per cent of the jobs are reserved for them in the future.

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उस प्रस्ताव के बारे में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ।

अगर राईट टू वर्क को संविधान के अन्दर मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित कर दिया जाए तो भी यह देखने की बात है कि क्या हम आज इस स्थिति में हैं, क्या हम इस मौलिक अधिकार का परिपालन करने में सक्षम होंगे ? यह सोचने का प्रश्न है । अभी जो स्थिति देश में है, उसमें अभी तक हम इसके लिए सक्षम नहीं हुए हैं । हमें इसके लिए अभी बहुत से रास्ते पार करने हैं, बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है। हमको कर्मठ हो कर कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे और कठोर निर्णय करने के लिए सब से पहले परिवार नियोजन की ओर हमें अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा ।

आज परिवार नियोजन का कार्य जिस प्रकार से हो रहा है, जिस प्रकार से देश की पार्टियां परिवार नियोजन के काय के प्रति कार्य कर रही हैं, परिवार नियोजन के बारे में जिस प्रकार से परिपालन हो रहा है वह बहुत आशानुकूल नहीं है । परिवार नियोजन का कार्य जिस प्रकार से हो रहा है उसको देखते हुए हम अपन देश में कितनी भी पैदावार बढ़ायें, कितना भी अपना औद्योगिक उत्पादन बढ़ायें उस से इस देश की समस्याओं का हल होने वाला नहीं । अगर हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में करने में सफल नहीं होते हैं तो मैं यह कह सकता हू कि हमें बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा ।

हमने योजनायें बनायीं । ये योजनायें हमारी गरीबी मिटाने का एक रास्ता था, हमारी बेरोजगारी मिटाने का एक रास्ता था परन्तु इन योजनाओं के बारे में भी हमने जो संकल्प किये, जो टारगेट्स फिक्स किये, हमने वे टारगेट्स फुलफिल नहीं किये । हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना का टारगेट फुलफिल किया लेकिन बाकी किसी पंचवर्षीय योजना का टारगेट फुलफिल नहीं किया । जो काम 5 वर्ष में होना चाहिये था उसमें 7 वर्ष लगे । नतीजा यह हुआ है कि हम 10 वर्ष पीछे रह गए हैं। इसलिए योजनाओं को रियलिस्टक बनाना पड़ेगा । उसी प्रकार की योजना बनानी होगी जिस प्रकार की हमारी क्षमता है, नहीं तो हम सफल नहीं हो सकते हैं ।

रोजगार देने के सवाल को हमने फण्डामेंटल राइट्स में नहीं माना है लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में माना है। अगर इसको फण्डामेंटल राइट्स में मानेंगे तो सबको अधिकार होगा कि वे दावा करके अपना अधिकार ले लें ।

आज हमारे देश में 5 करोड़ बेरोजगार हैं। इनको यदि 50 रूपये भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाए तो 95800 करोड़ रुपया देना पड़ेगा । 50 रुपये से वे संतुष्ट भी नहीं हो सकते। 100 रुपये से भी संतुष्ट नहीं हो सकते पढ़े लिखे लोग तो 400 रुपये में भी संतुष्ट नहीं हो सकते । हमें इस समस्या को हल करना है । उस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने आई०आर०डी० प्रोग्राम चलाया है । इसके अंतर्गत 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । 750 करोड़ रुपया राज्य सरकारों की तरफ से और 750 करोड़ रुपया केन्द्र की तरफ से रखा गया है। 3000 करोड़ रुपया बैंकों द्वारा ऋण

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

के रूप में दिया जाएगा । यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है और समस्या के समाधान में इसका बहुत योगदान होगा । सातवीं योजना में हमें इस कार्यक्रम का और अधिक विस्तार करना होगा । जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं उनके लिए आई० आर० डी० पी० को विस्तृत बनाना होगा । डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ भी ज्यादा ध्यान देने का आवश्यकता है भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है । डेडिकेटेड वर्कर्स को काम करना होगा तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है । इसके लिए हमको कुरबानी देनी होगी, मेहनत करनी होगी । डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एन० आर० ई० पी० जैसे जितने भी प्रोग्राम हाथ में लिए हैं उनको हमें सफल बनाना होगा । हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे । सभी पार्टियों को संगठित होकर कार्य करना होगा । देश का निर्माण करना होगा । जिस तरह से आजादी प्राप्त करने के लिए कुरबानियां दी गई हैं उसी तरह से आज इन समस्याओं के समाधान के लिए भी परिश्रम करने की आवश्यकता है । जब पूरी मेहनत और लगन से काम करेंगे तभी जाकर राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा ।

श्री मूल चन्द डागा: सभापति महोदय, यह सदन बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों का सदन है महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि राजनीतिक आजादी से पूरी आजादी नहीं होगी जब तक आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी । उन्होंने साफ कहा था—

According to him, "political democracy cannot survive without economic and social democracy."

दीवारों पर लिखा हुआ है सारे हिन्दुस्तान में आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि आपके इरादे मजबूत नहीं हैं क्योंकि आपके जो सारे योजना बनाने वाले हैं, उनको जो गरीबी की रेखा के नीचे 42 करोड़ लोग हैं, खत्म कर देंगे । यह आपको समय बता देगा । बुद्धिजीवियों का कहना है कि नहीं कर सकते । आपको मालूम नहीं कि करने का इरादा नहीं है । सारे बुद्धिजीवी अपने आप में सुखी हैं ।

आज देश को आजाद हुए 35 साल हो गए हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि आज तक कोई वित्त नीति नहीं बनी । श्री चन्दूलाल चन्द्राकर, जो ए० आई० सी० सी० के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी काफी कुछ कहा है ।

जिन देशों ने राइट टू वर्क बना लिया है, उनका उल्लेख मैं आपके समक्ष करना चाहता हूं ।

Albania: The State guarantees to the citizens the right to work.

Bulgaria : The right to work has been made as one of the Constitutional Right.

Egypt: Work is a right.

German Democratic Republic : The right to work is guaranteed.

Hungary: Work is right.

42 करोड़ की जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे होने के बाद भी कोई वेतन नीति नहीं बनी है। एक को मिलता है 40 हजार तो दूसरे को 40 रुपया। जब चालीस हजार मिलता है तो कौन कहता है हिन्दुस्तान में कमी है। संविधान के आर्टिकल्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं ।

Article 39 (a) " that the citizens ,men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;"

Article 41: "The State shall, within the limits of its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work...."

आज आपको मानना पड़ेगा कि जो पूंजीपति हैं उनके घरों में पूंजी चली गयी है और कुछ लोग इसलिये गरीब हो गये कि अभी भी हमारा शोषण और दमन की नीति पर समाज चल रहा है। जो शोषण और दमन की नीति पर सरकार चलेगी, वह कभी भी यह इरादा नहीं करेगी कि राइट टू वर्क होना चाहिये। यह कोई नयी बात नहीं है। गांधी जी ने कहा था जो चीजें बड़े-बड़े मंत्रियों और राजा-महाराजाओं के पास उपलब्ध हैं, जब वह गरीबों की झोपड़ियों में उपलब्ध हो जायेंगी, तभी मेरा सपना पूरा होगा। सब दो अक्तूबर और तीस जनवरी को राजघाट पर जाते हैं और समाधि पर जाकर प्रार्थना करते हैं।

"वैष्णव-जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे"

आज भी हर साल एक करोड़ 15 लाख आदमी बेकार होते हैं।... (व्यवधान) फैमिली प्लानिंग का इससे मतलब नहीं है। सवाल यह है कि जो हमारे संविधान की भावना है, आर्थिक न्याय देने की दृष्टि से इकोनामिक जस्टिस देने की उसको देने का हमारी सरकार का इरादा है क्या? अगर इरादा नहीं है तो माननीय वीरेन्द्र पाटिल जी 100 बातें कह सकते हैं खड़े होकर। क्या महाराष्ट्र सरकार ने गारन्टी योजना शुरू नहीं की? फैमिली प्लानिंग के लिये आप कामन कोड क्यों नहीं बनाते। जाहिर है कि ऐसा करने का इरादा नहीं है। झोंपड़ियों में रहने वाले लोग समझने लगे हैं कि गगनचुंबी मकानों में रहने वाले हमारा ध्यान नहीं रखेंगे। और एक दिन ऐसा आयेगा कि वह इन बड़े-बड़े मकानों को ढहा देंगे और उस समय कोई नहीं बचा सकेगा। झोंपड़ियों में रहने वाले इस बात को समझने लगे हैं, धरती जिनका बिस्तरा और आकाश चादर है उनमें यह भावना आने लगी है। बुद्धिजीवी कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है। मैं पूछता हूं कि क्या आप स्वयं सादा जीवन व्यतीत करते हैं? नहीं। गांधी जी लन्दन में केवल खादी की धोती पहनकर क्यों गये थे? इसलिये कि उनके दिमाग में यह बात थी कि मैं हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व करता हूं। राजा विक्रमादित्य नदी के किनारे क्यों रहते थे? औरंगजेब अपनी टोपी खुद बनाकर बेचता था और अपनी रोटी कमाकर खाता था। सभापति जी, आप तो जनरल रह चुके हैं, केवल विल का सवाल है। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो जो हुई जाती प्राप्त की हुई आजादी को भी खतरा पहुंचा देगी। जो योजनायें बनी हैं उनका आधार ज्यादातर शोषण रहा है। आपने बिजली पैदा करके बड़े-बड़े घरों में ज्यादा बिजली पहुंचा दी और गरीब के घर में कम पहुंची। तो जो-जो काम हमने किये हैं अपने हित में किये हैं, साधारण नागरिक के हित में नहीं। बुद्धिजीवी अपना हित पहले सोचता है। लेकिन अब गरीब अपने अधिकारों को समझने लगे हैं। भगवान करे उनमें प्रौढ़ शिक्षा हो जिससे वह अपने अधिकार को ले सकें। इस देश में एक को 4,000 रु० मिलें और दूसरे को 40 रु० यह व्यवस्था अधिक नहीं चल सकती है। एक को 40 कैलारीज मिलें और दूसरे को 1,800 कैलारीज यह ज्यादा दिन नहीं चल सकेगा।

MR. CHAIRMAN: Once again, my request to the hon. Members is that they should try to be very brief in their speeches without repetitions, just making the points.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मुझ को बहुत खुशी है अभी डागा जी ने जो लेजिस्लेचर पार्टी के सेक्रटरी हैं और माननीय चन्दू लाल चन्द्राकर, जो संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं, दोनों ने अपने विचार रखे, और सही विचार रखे । और इन्होंने यह भी आभास करा दिया सरकार की तरफ से क्या जवाब आ सकता है । और इन्होंने कहा भी कि 1985 निकट है । यदि नहीं किया तो 1985 में उल्टा रिजल्ट भी हो सकता है ।

प्रस्तावक महोदय ने बहुत ही थोड़े शब्दों में कहा है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि वह काम के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल करने की कार्यवाही करे ।

उनका एक लाइन का प्रस्ताव है और इसमें सदन को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये मैंने चन्द्राकर जी को कहा कि कल या आज जब वोटिंग का मामला आयेगा तो हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन आप ही प्रस्ताव वापिस ले लेंगे । मैं सर्व-प्रथम उनसे आग्रह करूंगा कि भागने का काम नहीं करें और जब प्रस्ताव रखा है तो उस पर सरकार की नियत का भी साफ पता चल जाये, अपोजीशन का भी पता चल जाये और जिन्होंने प्रस्ताव रखा है उनकी नियत का भी पता लग जाये । इस प्रस्ताव को सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिये ।

हमारे माननीय डागा साहब ने महात्मा गांधी का उद्धरण देते हुए कहा कि आजादी तब तक अधूरी है, जब तक आर्थिक आजादी नहीं मिल जाती । संस्कृत में एक श्लोक है—

"विभुक्षिता किं न करोती पापम्"

भूखा कौन पाप नहीं करता ।

मैं एक किताब पढ़ रहा था, किस की वह थी, वह मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उसकी जेल की डायरी में लिखा था कि मैं आज बहुत बड़े ओहदे पर हूं लेकिन जब जेल में था तो 24 घंटे में वहां दो रोटी मिलती थीं । मैं उन दो रोटी और समय को गिनता रहता था । मैं उन रोटियों के 8 टुकड़े करता था और 2–2 घंटे में एक-एक टुकड़ा खाता था। हर वक्त देखता रहता था कि दो घंटे कब बीतने वाले हैं । उसने लिखा है कि एक दिन मेरा मित्र बीमार पड़ गया, उसकी रोटी के लोभ में मुझे झूठ बोलना पड़ा और उसकी रोटी मैंने ले ली ।

जब लोगों के पेट में आग जलती है तो देश में धर्म और कर्म की पूजा नहीं होती, रोटी ही उस समय भगवान का काम करती है ।

Man cannot live without bread.

इसकी मूल भावना है कि लोगों को रोटी मिले ।

महर्षि विश्वामित्र जैसे बड़े आदमी को भूख लगी थी तो उन्होंने चांडाल के यहां जाकर मांस खाया था और चांडाल का झूठा खाना खाया था । पेट की भूख पेट की बीमारी है । पेट की भूख जब चलती है तो लोग देश और धर्म को ठुकरा देते हैं ।

आज इस सदन में इस विषय पर तीसरी बार बहस हो रही है । सन् 1978 में श्री यमुना प्रसाद शास्त्री ने एक बिल लाने की कोशिश की थी और दूसरी बार शायद श्री मधु दंडवते जी का बिल था । इस सदन में बार बार चर्चा होती है और सरकार की तरफ से बारबार एक ही उत्तर दिया जाता है । आप और हम जो भी पावर में आये हैं गरीबी हटाने का नारा लगाया है । अगर गरीबी हट जाती तो इस संकल्प की जरूरत नहीं थी लेकिन यह बढ़ती जा रही है ।

मैं श्री डागा जी से शत-प्रतिशत सहमत हूं कि राइट टू जाब और राइट टू वर्क किस के लिये है । बड़े लोगों के बेटे, अफसरों के बेटे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बेटे क्या बेरोजगार हैं ? कोई बेरोजगार नहीं है । जो मिनिस्टर हो गया है, उसका बेटा अन-एम्पलायड नहीं रहेगा । अन-एम्पलायड कौन है, बेरोजगार कौन है ? जिसके कोई मां-बाप नहीं है, जिसका कोई देखने सुनने वाला नहीं है । राइट टू वर्क तो उसके लिए है । हिन्दुस्तान का एक पक्ष है उसको तो आलरेडी सब कुछ मिल रहा है, कोई बता सकता है कि बड़े लोगों का कोई बेटा बेकार है ? नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : वह ज्यादा खाता है और बीमार हो जाता है ।

श्री राम विलास पासवान : उसके सामने प्राबलम है कि किस प्रकार से पैसा खर्च किया जाए ।

श्री मूल चन्द डागा : वह ज्यादा खाता है, ज्यादा हस्पताल की दवाएं लेकर देश के और लोगों का नुक्सान करता है ।

श्री राम विलास पासवान : कुछ लोगों के सामने प्राबलम है—

How to earn money.

उन लोगों के सामने तो यह है कि पैसा कैसे खर्च किया जाये । एक आदमी की अपनी कमाई ही दस रुपये की है लेकिन किसी के सिर्फ पान खाने की कीमत 10 रुपये होती है ।

जहां तक दूसरे देशों की बात है, डागा साहब बता रहे थे । मैं रूस के संविधान की धारा 118 को पढ़कर सुनाता हूं :—

"The citizen of USSR shall have the right to work, that is, the right to guaranteed employment and payment for the work in accordance with the quantity and quality."

यूगोस्लाविया के संविधान की धारा 159 में कहा गया है :

"The right to work shall be guaranteed."

"Rights acquired on account of labour shall be inalienable."

जापान के संविधान की धारा 27 में कहा गया है :

"All people shall have the right and obligation to work, Standards for wages, hours, rest and other working conditions shall be fixed by law. Children shall not be exploited."

रूमानिया के संविधान की धारा 18 के अनुसरा :

"In the Socialist Republic of Romania, the citizens have the right to work. Each citizen is given the possibility to carry on, according to his training and activity in the economic, administrative, social or cultural field and is remunerated

[श्री राम विलास पासवान]

according to its quantity and quality. For equal work there is equal pay."

जर्मन डिमोक्रैटिक पब्लिक का कांस्टीटूशन कहता है :

"Every citizen of the German Democratic Republic has the right to work. He has the right to employment and its free selection in accordance with social requirements and personal qualifications. He has the right to pay according to the quality and quantity of the work. Men, women, adults and young people have the right to equal pay for equal work|output."

चीन ने भी 1975 में अपना वि - धान संशोधित किया है और चीन के संविधान की धारा 27 में लिखा है :

"Article 27 of 1975 constitution *inter alia* provides that citizens have the right to work and the right to education. Working people have the right to rest and the right to material assistance in old age and in case of illness or disability."

संयुक्त राष्ट्र संघ के युनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ ह्यूमन राइट्स की धारा 23 में भी कहा गया है :

"All of us have the right to work and choose a type of work we deserve. We are entitled to receive equal pay for equal work."

जहां तक जनसंख्या की बात है हमारे मुकाबले चीन में जनसंख्या अधिक है लेकिन वहां पर राइट टु वर्क दिया गया है । यहां पर चूंकि आपकी बिल नहीं है इसलिए आप इधर उधर भरमाते हैं । आपके संविधान के आर्टिकल 39 41 के अनुसार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो प्राविजन है उसको तो कोई पढ़ता नहीं है । मैं समझता हूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को तो हटा ही देना चाहिए क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है । जनसंख्या के बारे में तो तर्क दिया जाता है कि बहुत से लोग है और इतने फंड नहीं है वह भी थोथी दलील है और वास्तविकता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

जहां तक ब्लकमनी का सवाल है युसुफ पटेल, हाजी मस्तान और बखिया जैसे लोगों ने जो कहा है वह आप उनके इन्टरव्यू में पढ़िए, वह कहते हैं कि बम्बई में 75 परसेन्ट पैसा ब्लैकमनी का है ।

एक माननीय सदस्य : आपके जेठमलानी उनकी वकालत करते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : वकालत उनका पेशा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि युसुफ पटेल और बखिया जैसे लोगों ने कहा है बम्बई और दूसरे बड़े बड़े नगरों में 75 परसेन्ट पैसा और प्रापर्टी ब्लैकमनी का है । मैंने इस पार्लियमेन्ट में भी कहा था कि आप तीन काम करें । आप राइट टु वर्क करना चाहे तो राइट टु वर्क करें । यदि यह नहीं कर सकते हैं तो अनएप्लायमेन्ट एलाउन्स दें । यदि यह भी नहीं कर सकते हैं तो नौकरी की उम्र की सीमा को बढ़ाइये । आज नौकरी की उम्र आप ने 25, 28 साल और 30 साल रखी हुई है । 30 साल की उम्र के आज 15 लाख पोस्ट ग्रेजुएट बेकार हैं 20 लाख ग्रेजुएट बकार हैं । हमारे वे लड़क जो ग्रेजुएशन कर के, पोस्ट-ग्रेजुएशन कर के आते हैं, इंजीनियरी पास कर के, डाक्टरी पास कर के आते हैं, जब उन को नौकरी नहीं मिलती है तो आप जानते हैं खाली दिमाग शैतान का वर्कशाप होता है । वे लेफ्ट-राइट करते रहते हैं, इधर से उधर नौकरी के लिये भागते

रहते हैं, लेकिन जब नौकरी नहीं मिलती तो जीवन से निराश हो कर आत्म-हत्या कर लेते हैं या गलत रास्ता पकड़ लेते हैं ।

जब 70 वर्ष की अवस्था का मंत्री और प्रधान मंत्री हो सकता है, जब 80 वर्ष का व्यक्ति एम० पी० या एम०एल० ए० हो सकता है, तो फिर 40 वर्ष की उम्र वाले को नौकरी क्यों नहीं मिलती ? आप कह दीजिये कि 55 साल की उम्र में रिटायर होना पड़ेगा या 58 साल की उम्र में रिटायर होना पड़ेगा, लेकिन यह व्यवस्था भी कीजिये कि 50 साल की उम्र का व्यक्ति भी नौकरी पा सकता है चाहे उसे 5 साल ही नौकरी करनी पड़े । इस में आप को क्या एतराज है ? आप ने ऐसी उम्र रख दी है जिस से आप के लिये प्राबलम न हो, क्योंकि उस उम्र के बाद आप से कोई नौकरी मांगने नहीं आयेगा । लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिये चाहे आप से नौकरी नहीं मांगेगा लेकिन देश के सामने एक प्राबलम हो जायगी । इस लिये मैं इस मांग का पूर्ण समर्थन करता हूं । अभी भी समय है—आप इस को स्वीकार कीजिये, संविधान के फण्डामेन्टल राइट्स में इस को रखिये, मूल अधिकारों में इस को जोड़ कर उस को काम पाने का अधिकार दीजिये। तब सरकार की जवाब-देही रहेगी, चाहे जो पार्टी पावर में रहे उस के सामने यह लक्ष्य रहेगा कि उसे लोगों को रोजगार देना है । इस प्रकार का कदम देश के भविष्य के लिये बहुत अच्छा कदम साबित होगा तथा देश की एकता, अखण्डता, उन्नति, प्रासपैरिटी को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा । इस लिये मैं इस का पुरजोर समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि राइट टु वर्क फण्डामेन्टल राइट्स में इन्कलूड किया जाय ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, काम के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने का जो प्रस्ताव माननीय चन्द्राकर जी ने रखा है मैं उस का समर्थन करता हूं । अभी जितनी बातें कही गई हैं और जिस प्रकार के हालात आज देश के अन्दर हैं उन को अगर निरन्तर सही रास्ते पर नहीं लाया गया और इसी प्रकार बेरोजगारी बढ़ती गई तो उस से बड़ी निराशा कोई नहीं होगी । खास कर आज गांवों के अन्दर जो हालात हैं, आप ने जो लैंड रिफार्म्स किये हैं, लेकिन उस के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लैंड-लेस लेबरर्स हैं और जो लाखों की तादाद में हैं। जिन के पास अपनी निजी कोई जमीन नहीं है, उन लोगों की अनएम्पलयामेन्ट की समस्या को हल करने के लिये सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है । हमें इस के सम्बन्ध में कुछ न कुछ व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है ।

गांवों में जो छोटे किसान हैं, जिन के पास छोटी जमीनें हैं, मैं कुलक्स की बात नहीं कर रह हूं, जिन के पास हजारों बीघे जमीन हैं वे तो अपने पास सैकड़ों आदमियों को नौकर रख कर खेती करवाते हैं, लेकिन जिन के पास थोड़ी जमीन है, 10–5 बीघे जमीन है, इतनी जमीन से वे 6 महीने भी गुजारा नहीं कर पाते हैं, उन को अनएप्पलाएड रहना पड़ता है, उन के पास दूसरा कोई साधन नहीं है जिस से वे वर्ष भर अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें, ऐसे लोगों को जो 6 महीने बेरोजगार रहते हैं, उन को रोजगार-धन्धा देने की कोई न कोई निश्चित व्यवस्था करनी चाहिये ।

अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि सरकार इस दिशा में कुछ नहीं करती

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

है—ऐसी बात नहीं है, हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्ज हैं, उन के तहत सरकार ने कई प्रकार की योजनायें देश में चलाई हैं । आप जानते हैं—आइ० आर० डी० पी० का प्रोग्राम चलाया है जिस के तहत लाखों करोड़ों लोगों को पैसा देकर रोजगार से लगाया जा सकता है । इसी प्रकार एन० आर० ई० पी० का प्रोग्राम है जिस के अन्तर्गत क्षेत्र के विकास के लिये जो कार्यक्रम हाथ में लिये जाते हैं उस में उन को रोजगार और धन्धा दे कर उन की रोजी और रोटी का प्रश्न हल किया जा सकता है । इसी प्रकार से हम काटेज इंडस्ट्रीज को गांवों के अन्दर विशाल पैमाने पर हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं । इन काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ा कर भी हम निश्चित तरीके से गांवों के लाखों, करोड़ों लोगों को रोजगार-धंधा दे सकते हैं । खादी का काम जो गांवों के अन्दर चलाया है, उसके जरिये से हैण्डलूम का काम हाथ में लिया है, इनको भी बड़े पैमाने पर चला कर हम निश्चित तरीके से ला ों, करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं ।

लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या ये प्रोग्राम ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ? आई० आर० डी० का प्रोग्राम भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है । जिस प्रोग्राम में आप 15 सौ करोड़ रुपये अपने जरिय से और तीन हजार करोड़ रुपये कर्जे के रूप में बैंकों से दिलायेंगे । क्या यह प्रोग्राम भी गांवों के अन्दर ठीक से चल रहा है ? इसको देखने के लिये मोनिटरिंग की क्या व्यवस्था है जिसके जरिए से आप जान सकें कि यह ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं ? इस प्रोग्राम के जरिये से भी आप गांवों के करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं । मैं अपने क्षेत्र के अन्दर दौरा करता हूं तो देखता हूं कि आई० आर० डी० के प्रोग्राम के तहत जो रुपया आप कज का देते हैं वह तो लोगों को मिल जाता है लेकिन जो सब्सीडी का रुपया देते हैं, छोटे काश्तकारों और शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को 33 परसेंट सब्सीडी उपलब्ध कराते हैं वह लोगों को नहीं मिल पाता है । इसलिए इस कार्यक्रम की मोनेटरिंग करने की आपने क्या व्यवस्था की है ? अगर आप इसकी मोनेटरिंग नहीं करते हैं तो करोड़ों रुपया जो सरकार की तरफ से गरीबी निवारण के लिए दिया जा रहा है वह बर्बाद हो जायेगा और लोगों को रोजगार-धंधा नहीं मिल पयेगा । इसलिये यह आप का कर्तव्य है कि आप भी देखें और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसको देखने के लिये कहें जिससे कि बरोजगारी की समस्या ठीक प्रकार से हल हो । आपकी इस सब्सीडी का रुपया सरकारी अधिकारी हजम न करने पायें, निश्चित तरीके से इसके लिये आप को कदम उठाने चाहिएं । हमारा फर्ज है कि हम हर व्यक्ति और हर हाथ को काम दें । आप इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिये मोनेटरिंग की व्यवस्था ठीक करें । आपकी यह व्यवस्था न होने से यह कार्यक्रम ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है ।

इस आई० आर० डी० प्रोग्राम की तरह से एक एन० आर० ई० पी० प्रोग्राम है । इस प्रोग्राम के जरिये से जो धन दिया जाए, उसको आप देखें कि वह सही ढंग से लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं । मैंने देखा है कि आप इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चाहे अनाज देते हैं या पैसा देते हैं उसका दुरुपयोग करके लोगों ने बर्बाद किया है । इस कार्यक्रम के जरिये से जो एम्प्लायमेंट मिलनी चाहिये थी, वह लोगों को नहीं मिल पाई है ।

हमारे देश के अन्दर कई प्रांतों में इस कार्यक्रम के लिये जितना पैसा स्टट गवर्नमेंट्स को खर्च करना चाहिये था, वह उन्होंने खर्च नहीं किया है। इस कार्यक्रम में जितनी केंद्रीय सरकार सहायता देती है, उसके बराबर का पैसा स्टट गवर्नमेंट को लगाना पड़ता है। लेकिन स्टट गवर्नमेंट चूंकि इस कार्यक्रम पर पूरा पैसा नहीं लगाती, इसलिये यह कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं हो रहा है और लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिये माननीय श्रम मंत्री जी आपका यह कर्तव्य है कि हम सारे प्रोग्रामों को ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट करने के लिये मोनेटरिंग करें। भारत सरकार तो इसके लिये दिल खोल कर पैसा दे रही है मगर राज्य सरकारें इस पर पूरा पैसा खर्च नहीं कर रही हैं जिससे कि यह कार्यक्रम इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है और हमारे गरीब भाइयों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसको ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट कराने की आवश्यकता है।

काटेज इंडस्ट्रीज और खादी कमीशन द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के जरिये से भी आप लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन खादी के प्रोग्राम में भी क्या हो रहा है ? उनके अधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्यगण गड़बड़ी कर के, जितना पैसा खादी कमीशन की तरफ से लोगों को रोजगार धंधा देने के लिये मिलता है, छोटी-छोटी काटेज इंडस्ट्रीज चलाने के लिये मिलता है जिससे कि लाखों लोग अपने-अपने धंधे में लग सकें वह बर्बाद हो रहा है। इस गड़बड़ घोटाले को भी देखने की आवश्यकता है। गांवों के लोगों को रोजगार देने के लिये काटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसमें सही तरीके से लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं यह देखने के लिये आप के पास क्या मानेटरिंग की व्यवस्था है ? इस तरह की व्यवस्था नितांत आवश्यक है।

एक बात और निवदन करना चाहता हूं। आप के यहां पर जो रोजगार कार्यालय हैं यहां पर व्यवस्था को सुधारना बहुत आवश्यक है। बगैर पैसे लिये नाम नहीं लिखा जाता। इस तरह से गरीब आदमी इस सुविधा से वंचित रह जाता है। प्रत्येक योग्य आदमी का नाम जिस जगह काम काज दिलाया जाना है वहां पर भेजा जाना चाहिये। इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

हमारे यहां धरती में अपार संपदा है जिसको हम एक्सप्लायट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इसके लिये सही योजना बनायें तो करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिल सकता है और देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सकता है। इसलिये इस बारे में विशेष योजनाओं की आवश्यकता है।

इसी प्रकार हमारे यहां पानी की कमी नहीं है लेकिन हम पानी को रोक नहीं पाये हैं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाए तो कृषि का उत्पादन भी बढ़ सकता है, बाढ़ और सूखे से राहत मिल सकती है और करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। नदियों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की भारत सरकार की योजना भी, उसको भी क्रियान्वित किया जाना चाहिये। इन योजनाओं के बिना हम बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर सकते।

इसी प्रकार राज्य सरकारों के अन्तर्गत इरीगेशन, पी० डब्ल्यू० डी०, सायल कंजरवेशन आदि जितने भी विभाग हैं इनमें ठेकेदारी प्रथा के जरिये से सारे

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

काम करवाये जाते हैं। इसकी वजह से सारा मुनाफा ठेकेदारों को ही मिलता है। क्या ये काम एंप्लायमेंट गारंटी स्कीम जिस तरह की महाराष्ट्र ने बनाई है उस तरीके से नहीं करवाये जा सकते। इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और शोषण को भी रोका जा सकेगा।

शिक्षा प्रणाली के बारे में मेरा निवेदन है कि आज की शिक्षा प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है। आज प्रत्येक अधिकारी और मिनिस्टर कहता है कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन किया जायेगा। लेकिन इस बारे में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। आज बाबू बनाने वाली शिक्षा को समाप्त करके उसके स्थान पर टेक्नीकल एजूकेशन की आवश्यकता है। इसके जरिये यदि कोई चाहे तो नौकरी कर सकता है और यदि चाहे तो अपना काम भी कर सकता है। इससे वह अपनी रोजी रोटी आसानी से कमा सकेगा। शिक्षा की समान व्यवस्था होनी चाहिये। पब्लिक स्कूल्स बन्द किये जाने चाहियें। अगर बन्द नहीं किये जा सकते तो सभी के लिये एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये। अगर यह नहीं किया गया तो गरीब आदमी का बेटा गरीब रह जायेगा और अमीर का बेटा अमीर रहेगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि तमाम लोगों को शिक्षा की समान सुविधा दी जानी चाहिये।

हमारे जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से राइट टू वर्क होना चाहिये और इसलिये यह फंडामेंटल राईट्स में इंक्लूड होना आवश्यक है। जब तक यह नहीं होगा तब तक हमने जो बेरोजगारी दूर करने का नारा दिया है, वह पूरा नहीं हो सकता। मेरा सुझाव है कि हर हाथ को काम मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार के जरिए से होनी चाहिये। हमें उम्मीद है कि श्रीमती गांधी के नेतृत्व में निश्चित ही इस प्रकार की व्यवस्था देश में होगी।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): मैं रुल्स कमेटी में व्यस्त था इसलिये अपनी अमेंडमेंट मूव नहीं कर सका। कृपया मुझे इसके लिये इजाजत दे दें।

सभापति महोदय: एज ए स्पेशल केस मैंने कर दिया है।

SHRI SATYANARAYAN JATIYA: I beg to move:

> "That in the resolution, *add* at the end-- "and each unemployed person should be paid appropriate maintenance allowance till the 'Right to Work' is granted.".(4)

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Mr Chairman, Sir, I rise to offer my vigorous and emphatic support to the Resolution moved by our esteemed friend, Shri Chandulal Chandrakar. The Resolution, as you might have observed, is very specific, and it has got no scope of any kind of digression or any kind of misrepresentation. The focus of the Resolution is that the unemployment problem in our country is massive, it has become menacing and may become explosive. The thrust of this Resolution is that the Government should take certain action so that the right to work can be included as one of the Fundamental Rights. These are the two aspects. It is not the other question which has already been mentioned by many hon. Members.

Mr Chairman, Sir, you will agree and the Labour Minister, who is here, will also agree with me that poverty is a denial of life. This is a curse. Anybody, who has suffered hunger knows how it pinches. Whatever might be the views, greatest philosophy is the philosophy of poverty: poverty means denial of life. In other words, in plain words, poverty means the negation of the right to live. In view his problem from that point of view. It is a great pleasure when I find

that our Constitution includes in its Preamble that we want to have socialism in our country.

Just on this point, I want to mention, as my distinguished friends, Shri Daga and Shri Paswan have pointed out, almost all the socialist countries of the world have accepted this right to work as a Fundamental Right. But this Government, which claims to build up socialism in our country now, wavers, falters, and brings in certain points to say that the right to work cannot be accepted, cannot be implemented because of limits imposed by economy.

If you permit me, I can read out the relevant Articles of the Constitution. But Article 31 is clear on that. It is a Directive Principle and the State shall provide an opportunity for work provided the economic situation and the economy does permit. Now, on the one hand you want to develop a socialist economy, on the other you cannot provide what the Socialist States of the world have provided in heir Constitution — the right to work as a Fundamental Right. And still you want to be a Socialist. Now these are known to the people and you are exposed before the people.

Keeping apart the socialist countries which have a different attitude towards life, which you do not accept, even a country like Japan about whose praise we hear from many of you quite often, has accepted this. Japan is not a Socialist country at all. As a matter of fact the present policy of the Japanese Government is hostile to the socialist world.

PROF. N. G. RANGA: Japan is the richest country now.

SHRI CHITTA BASU: But, Sir, Japan, even though it is a capitalist country has accepted the right to work as a Fundamental Right. Sir, France has not become a Socialist State, although Mitterand was its President in the recent past. They have also allowed, long before Mitterand came on the seat of power, the right to work as a Fundamental Right in their Constitution. Sir, I do not like to mention other States. The only point which I want to drive at is that the Socialist countries have accepted the right to work as a Fundamental Right. You claim to be a Socialist State, but you do not accept that right as a Fundamental Right. Not only the Socialist States, even the capitalist countries also have accepted the right to work as a Fundamenal Right. Therefore, Sir, nothing more is required to expose your true face.

Very often you are seen eloquent about the Human Rights. What is Human Right? You make allegations against countries saying that such and such countries are violating the Human Rights. But have you ever gone into the very basic concept of Human Rights? The Right to Work is also included in the Schedule on Human Rights. For your information, kindly see Article 23(i) of the Universal Declaration on Human Rights. You are a party to that. You are committed to protest the Human Rights. You always speak against those who are violating the Human Rights, but Mr. Chairman, Sir, by not accepting the Right to Work as the Fundamental Righ, you are violating this Human Right. You don't want that Human Right should be violated by anybody. How do you say that when you yourselves here in India are violating the Human Right.? The very concept of Fundamental Rights includes the Right to Work. I quote: 'Every one has a right to work, to free choice of employment, to a choice of favourable conditions of work and the protection against unemployment.' I am leaving the other two parts, because it is not possible in India. I concede that we can't have that right to free choice of employment, because we have got no choice for employment, but the compulsion of hunger. We have got no choice, no option what to talk of conditions of work. But we simply want the right to work. We have got hands. We are human-beings. We have got the productive capacity. Utilise this productive capacity; utilise these hands; utilise these talents. It is not a heaven we are clamouring. What we are clamouring is that allow your own youth, your own countrymen to have that right to live. Right to live means the right to earn. So, it is not necessary to convince the House about its necessity. You go by the human

[Shri Chitta Basu]

rights, but the basic concept of human rights is the right to work. You want to defend those rights beyond the borders of our country: you refuse to defend this human right within our borders. So, there cannot be any argument whatsoever for opposing this Resolution.

I have got enough facts. What is the magnitude of poverty? You will be astonished to know it if you really quantify poverty. One of the best economists of our country has done it. I had an idea to inform the House about it. There cannot be any other philosophy in the country to-day than the philosphy of poverty which is a very dangerous one. I think you should understand its implication. (*Interruptions*) I am quite grateful to my friend Shri Virdhi Chander Jain who said that if you agreed to give Rs. 50|- as unemployment allowance, the total sum required would be Rs. 800 crores. I think I have heard him correctly. I do not know what is your figure. It must be bigger than that. Anyway, I am relying on his statement. After all, he belongs to your party.

Do you know that more than Rs. 800 crores are still remaining as income-tax arrears? I think I am not making a wrong statement. Do you know what is the amount of evasion of taxes? Do you know what is the evasion of Excise duties? Do you know what are the arrears of Excise revenues? So, the question of limitation of resources does not arise, provided we have the will, and we understand the truth and correct philosophy.

17.02 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

I am quite grateful to the General Secretary of the Congress (I) that he has mustered the courage to bring forward such a specific, pointed and sharp resolution. I am quite sure about my ground when I say that these NREP schemes etc. are not going to liquidate the unemployment problem. Your 20-point programme is not going to liquidate it. Let us call a spade a spade. The time has come when you should speak the truth. These Rs. 10,000 crores which they have allotted for the 20-point programme are not going to liquidate it, or even reduce the number of unemployeds in our country—which has already shot up to 4.41 million. If the figure of Mr. Daga is correct, everywhere a large number of people have become unemployed. So, what is needed is not some kind of a palliative, but an overhauling of the socio-economic structure. in the name of socialism, you are building capitalism in our country. There should not be any doubt about it, whatever you may say. You may have your public sector industries; but practically, the whole thing that you have built up is the capitalist socio-economic structure in our country.

The world has proved the importance of the theory of Karl Marx. Our Speaker was kind enough to mention about Karl Marx. In the Rajya Sabha also, there was a mention about his theory. We have to understand what is the philosophy of poverty enunciated by great Karl Marx. This is the only way we can reduce it; this is the only way we can liquidate it; this is the only way we can reveal a line and guarantee human rights. For that, I don't expect that thing of them; but what I expect of them is that they can speed up the land-reforms; it is a policy adopted by them; it is a policy adopted by the Planning Commission. This policy you have already acepted but it has not been implemented. But if you merely implement the land reforms measures, we can make some advance. If you take certain policies for rapid industrialization along, with medium and small scale and cottage industries, the problem can be tackled to a certain extent; the problem can be reduced, but it canont be eliminated. Beyond this, what is the major objective? The major thrust is the distribution of the means of production and redistribution of income, assets pattern. Unless you can change that within this framework, this problem cannot be eliminated; but if you take certain measures, then this problem can be reduced; and in order to force the States to adopt that policy position, the inclusion of the right to work as a fundamental right is necessary, because the

Directive Principle is not justifiable; and since it is not justiciable, there is no hope for the implementation of the Directive Principles. The major thrust is that you it justiciable; and in order to make it a justiciable right, it is necessary to include clude it in the list of the Fundamental Rights in our Constitution. Therefore, I think the hon. Minister understands everything, but he has got certain constraints. I say what I want to say and I know what is his reply likely to be, that is, the same Article 41, that is, limitations subject to certain condition. If we require to abolish that condition and bring in a new condiion wherein the bring in a new condition wherein the you go that way, would you proceed that way or would you go backward? This is the question.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You did not mention the way you want to go.

SHRI CHITTA BASU: Give up this antifeudal policy; give up the pro-capita-policy; give up the pro-monopolist policy and change the socio-economic structure of the country. This is the new road which you should take. If they agree to take up this new road, the country will march forward.

MR. DEPUTY-SPEAKER. He will definitely choose the Gandhian way.

SHRI CHITTA BASU: I may have certain reservations on the particular inbuilt character or mechanism of Gandhianism, but so far as the philosophy is concerned, I cannot dissolve it. I don't mind if they can attain the end with the Gandhian means; I would not object to it. But it has been proved that the Gandhian means have not led to the end which we aspire. The way I have indicated is the only way. I know that this way they can not take up; this is the way which they always abandon.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sultanpuri.

SHRI BHOGENDRA JHA: Sir, I want to move... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: After he speaks, I will call you. You can move and speak.

SHRI CHANDRA PAL SHAILANI: Sir, my name also is there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, But the name of Shri Sultanpuri is above that of yours. Shri Sunder Singh and Shri Shailani are also there. But, the name of Shri Sultanpuri is above that of all of you. All of you will have your turn.

Now, Shri Sultanpuri.

श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय,

रेशम के गलीचों पर धनवान के बेटे सोते हैं ।

मेरे माननीय मित्र श्री चन्दूलाल चन्द्राकर जी ने, जो आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री भी हैं, जो प्रस्ताव इस माननीय सदन के सामने पेश किया है, मैं उस का पुरजोर समर्थन करता हूं । मैं यह समझता हूं कि आज वक्त आ गया है जब हम इस बात पर विचार करें क्योंकि 1921 में महात्मा गांधी जी ने कहा था—अगर हमें हिन्दुस्तान की आजादी प्राप्त करनी है तो जो गरीब लोग, जो पिछड़े वर्ग के हैं, अछूत लोग हैं, उन को साथ ले कर चलना होगा । आज दशा यह है कि हमारे गांव में जो लोग खेती का काम करते हैं, मजदूरों के रूप में काम करते हैं, पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, मकान बनाने का काम करते हैं, सफ़ाई का काम करते हैं, उन को अख्तियारात नहीं हैं कि वे महलों में रह सकें । जो उन मकानों के मालिक हैं, जो धनी लोग हैं, वे ज़्यादा धनी होते जा रहे हैं । इन लोगों की तरफ़ सरकार का करोड़ों रुपया बकाया है लेकिन वे सरकार का बकाया देने नहीं आते हैं । इसलिये अगर हमें रोजगार मुहिया करना है तो संविधान में यह गारन्टी हम को देनी पड़ेगी । जो गरीब लोग हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हों, जो भूखे और नंगे हैं, जिन को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, यदि हमें देश में जनतन्त्र को चलाना है, इस सविधान को चलाना है तो उन्हें यह गारन्टी देनी होगी ।

[श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी]

आज हिन्दुस्तान के अन्दर एजकूकेशन का जो तरीका है, जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, वह एक दूसरे ढंग की प्रणाली है । जो लड़के पब्लिक स्कूलों से पढ़ कर निकलते हैं उन को ही आगे चल कर ओहदेदारी मिलती है । गांवों के बच्चे जो देहातों के स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे हमारे जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोग हों, काश्मीर या नागालैंड के हों, उन बच्चों को स्कूलों में जमीन पर बैठ कर या टाटपट्टी पर बैठ कर पढ़ना पड़ता है । किसी तरह से जब वे हाई स्कूल या बी० ,ए० कर के निकलते हैं, इन पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं । हम लोग दिल्ली में आकर उनके लिये तरह-तरह की बातें करते हैं, जिससे उन के अन्दर यह उम्मीद पैदा हो जाती है कि शायद उन को भी नौकरी मिल जायगी, लेकिन निराश होना पड़ता है । एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में करोड़ों नाम दर्ज हैं लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिलता । वे 50–50 और 100–100 मील दूर से इंटरव्यू के लिये आते हैं, दूर-दराज के इलाकों से चल कर आते हैं, उन के आने-जाने पर मां-बाप का धन खर्च होता है, जिन दफ्तरों से उन को बुलाया जाता है उन की तरफ से किराये का कोई सवाल नहीं होता है, क्योंकि वे क्लर्क की पोस्ट के लिये आते हैं, लेकिन उस के बाद भी उन को निराशा का सामना करना पड़ता है ।

जहां ठेकेदारों के जरिये उनको काम पर रखा जाता है, वहां ठेकेदारों द्वारा उनका शोषण किया जाता है । पी०डब्लू०डी० में जो मजदूर काम करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में उनको 8 रुपये 25 पैसे रोज मिलते हैं, लेकिन अगर वे किसी और महकमे में काम करते हैं, बैंकों में काम करते हैं तो उन को डेलीवेज इस रकम से दुगना मिलता है । हमें यह भी दखना है कि एक तरफ एक आदमी को हम चार हजार रुपये महांवार तन्खावाह देते हैं, जो देश का कुछ काम नहीं कर सकता है ,लेकिन दूसरी तरफ एक मजदूर को इतना कम वेतन दे रहे हैं जिसमें वह अपने बाल बच्चो का पालन पोषण भी नहीं कर सकता है । आज उनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है । जो मकान बनाने वाला है, पत्थर तोड़ने वाला है, उस मकान में सफाई करने वाला है, नालियां साफ करने वाला है, वह उन मकानों में नहीं रह सकता, उस कि कोई इज्जत नहीं है कि वह उसमें रहे, उसके पास रहने के लिए कोई निवास स्थान नहीं है । इसी लिये हमारी प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि गरीबों को हर तरह की मदद दी जाय । लेकिन दिक्कत यह है कि वह मदद बिचौलिये खा जाते हैं, हमें इस बात को देखना होगा ब्लाक वाइज, खण्ड वाइज देखना होगा पचायतों के जरिये देखना होगा कि गांव के जो गरीब लोग हैं उनको मदद पहुंच रही है या नहीं । यह सारा देखना होगा , तभी हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं ।

देश में जो कारखाने हैं उनमें बहुत से लोग डेलीवेजिज पर रख लिये जाते हैं और डेलीवेजिज में उनको बहुत कम तनख्वाह मिलती है । जो लोग मेनेंजमेंट के साथ मिले होते हैं उनको ज्यादा तन्नख्वाह मिलती है । सरकारी कारखानों में बड़े-बड़े लोगों के लड़के लगाये जाते हैं, गांव के किसानों के लड़कों को कोई नौकरी नहीं दी जाती ।

आज गांवों के अन्दर प्रोडक्शन की बिक्री की कोई गारण्टी नहीं है । बहुत से लोगों के पास अपनी भूमि नहीं

है जिससे कि वे खेती करके अपना काम चला सकें । उनके लिये रोजगार के प्रबंध करना बहुत अच्छी बात है । मैं कहता हूं कि हर घर में एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए । ये जो आपके आफिसरों की पांच बड़ी केटेगरीज हैं, आई०ए एस , आई पी एस , वगैरह: ये केटेगरियां बड़े बड़े लोगों के हिस्से में आयी हैं, छोटे-छोटे लोगों के हिस्से में नहीं आयी हैं । गरीब आदमी का बच्चा न किसी सलाहकार बोर्ड में आ सकता है, न उससे कोई सलाह ली जाती है न गरीब का लड़का पब्लिक सर्विस कमीशन में जाकर कामयाब हो सकता है । एम्प्लाएमेन्ट एक्सचेंज में भी भाई-भतीजावाद चलता है। वहां से भी वे उन्हीं का नाम निकालते हैं जिनकी कि सिफारिश हो । गरीब का लड़का वहां भी रह जाता है ।

सरकार ने तो अपनी निगाह से देश से गरीबी मिटाने के लिये ठोस कदम उठाये हैं । जब हम इसे रिजोल्युशन की परिभाषा देखते हैं तो पाते है कि यह ऐसा टाइम है जबकि यह देश की मांग है कि विधान में हम काम की गारण्टी दें । इस से किसी को भी कोई गलत बात करने का साहस नहीं हो सकेगा ।

गरीब लोगों की जो आर्थिक दशा है वह बहुत कमजोर होती जा रहीं है। गरीब लोगों के पास ओढ़ने के लिये कपड़ा नहीं होता । वे विचारे ठंडी रात में फुटपाथों और धर्मशालाओं में पड़े रहते हैं । यह जो रिजोल्युशन आया है उस तरफ के सदस्यों को भी जिनको किमान्यता से प्यार है, इसका समर्थन करना चाहिए । हम भी इन्सानी प्रतिनिधि हैं, हम भी इन्सान हैं, हम जो इन्सानी भलाई के काम हैं वे हम भी चाहते हैं । जो सूरज की किरणें हैं, जो जल है, वह केवल अमीरों के लिये ही नहीं है, वह सब के लिये है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बिजली का जो प्रोडक्शन है वह अमीरों के लिये ही नहीं है, वह सब गरीब लोगों के लिये भी है । उसको बराबर तक्सीम किया जाना चाहिए ताकि गरीब लोगों को भी फायदा दे सकें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री चन्दूलाल चन्द्राकर जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं भी समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसको पास कराया जाए ताकि गरीब लोगों का ककल्याण हो सके और सभी घरों के लोगों को आगे बढ़ाया जा सके ।

यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA (Aurangabad): This Resolution provides yet another opportunity to the House to express its views on this most important problem facing the country. Already many hon. Member's have spoken on this Resolution. They have brought before the House the information that many countries of the world have already accepted the right to work as a fundamental right. So far as the socialist countries are concerned, there is no problem of unemployment. Almost all of them have accepted this right of work as a fundamental right. Even those countries which are not socialists like Japan, France and even West Germany, have accepted the right to work as a fundamental right.

In the discussion which has taken place you must have noticed that there is a unanimous demand from all sides of the House that this right to work should be accepted as a fundamental right and the Constitution should be suitably amended. It has become all the more imperative because unemployment problem is increasing alarmingly and the stark reality of the bleak future which is staring into the faces of our youngmen has caused their

[Shri Satyendra Narayan Sinha]

frustration. You know that there is student unrest. If you really go deep into the cause of student unrest, you will see that if there because students see no future for themselves. They are suffering from frustrations and they take to all kinds of ways which cannot be commended. There a deterioration in law and order situation. Everyday, we have been reading about incidents of dacoity, robbery, murder and all that and we are facing a very explosive situation. The hon. friends who have spoken, have already referred to this and said that this political democracy will have no meannig if there is no economic and social democracy. They have underlined the imperative need for providing employment to everybody, failing which you should provide them with unemployment allowance. Even Members of Government, while speaking in public, have said that it is necessary that the Government should bring masses into the main stream of life by implementing the Directive Principles. Clashes between Fundamental Rights and Directive Principles are bound to arise. The founding fathers of the Constitution desired that the Directive Principles should be implemented. I need not read Article 39 or 41 wherein it has been said that the Directive Principles virtually are crucial, are fundamental to the goverance of the State. We have found, even after 33 years of this Constitution, that we have not implemented the Directive Principles. In every field you will find that there has been failure in implementation of our policies. Only the other day Shri Lakappa had brought forward a Resolution here. The underlying current of thinking was the same anxiety that there is tardy implementation of the socio-economic programmes with the result that the socio-economic structure remains as it was and there has not been any significant change in that structure which is necessary.

Mr. Daga who is Secretary of the Congress Party very eloquently warned the Government that if they did not accept this as a Fundamental Right and provide work and job to the jobless whose number is everyday increasing there will be chaos and disturbance. He went further and said that people should organise themselves to demand this right. Mr. Shiv Shankar an important Member of the Cabinet also, at one stage, addressing a meeting, said that if the country failed to provide social, economic and political justice, it will lead to radical methods involving violence. This is the warning given by Members of the ruling party. It is not as if the opposition is serving this warnig to the Government. I know that our Labour Minister is a sympathetc person. I am sure, he will not come forward with the usual plea that we have lack of resources and so we cannot accept it as a fundamental right.

Bihar has introduced an unemployment allowance of Rs. 50. West Bengal also has a scheme of unemployment allowance, which is given to those who have registered their names in the employment exchange for a manimum period of five years. Maharashtra introduced the Employment Guarantee Scheme a long time back. It was acclaimed by all and it attracted wide attention. We had also introduced the Antyodaya scheme under which we gave benefit to the poorest sections of the people. We have been doing all this, yet, when this question is raised, the paucity of resources is always trotted out as an excuse for the inability to accept the Resolution. When the Government have introduced several schemes to provide benefit to the poor families and bring them up above the povertyline, they should straightway accept this Resolution and take steps to amend he Constituion to include the right to work in the Chapter on Fundamental Rights.

In the Directive Principles of State Policy it is stated that the State shall, within the limits of its economic capacity, make effective provision for securing right to work and also assistance to old age, sickness and unemployment benefit. So, there is no reason why we should not accept it straightway and provide for it. When we have been spending money for Asiad and other schemes, it should not be difficult for Government to find money for this purpose. The other day in reply to a question the then Labour Minister, Shrimati Ram Dulari Sinha, stated that if unemployment allowance was to be provided, it would come to Rs. 629 crores per year. In

my opinion, it is not a very big sum, which cannot be found by the Government.

Only today we have concluded the general discussion on the budget, where there was reference to the rural development fund. Shri Chitta Basu referred to the evasion of income-tax and excise duty. The Wanchoo Committee estimated that the black money circulating in the country may be in the region of Rs. 20,000 crores, which is a staggering figure. Can we not do something to tap these resources?

We should create a special fund for this purpose. We can also ask the private sector to contribute to this fund, by giving them incentive in the form of income-tax concession. There is no reason why the Government should find it difficult to accept this Resolution.

My hon. friend, Shri Giri, referred to the report of the Planning Commission a little while ago. I would also quote that para:

> "The present estimates show that employment on the basis of standard person years will grow at 4.1 per cent per annum in the Sixth Plan period i.e. at a rate much higher than the growth of labour force of 2.54 per cent per annum over the same period. In terms of absolute numbers, it means an increase in employment in the standard person years by 34 million, which will almost match the increase in the labour force, defined as persons of 15 years of age and above, over the same period.
>
> "This result can be interpreted thus: if all new employment is on full-time basis, then the total jobs created will accommodate the entire increase in the labour force. However, assuming that in reality all the newly employed cannot be on a full-time basis, there will be a greater absorption and the existing backlog of unemployment will be reduced."

This is what the Planning Commission stated and in the face of this, I do not think that the Government should find any difficulty in accepting this Resolution because the Planning Commission itself said that they will be creating so many job opportunity for increasing the labour force. Therefore, my humble submission to my friend is that in view of the fact that you have been hearing from everybody and you have been seeing warning signals everywhere in the countryside in the shape of student unrest, labour unrest and deterioration in the law and order situation, it is incumbent on you to accept this Resolution. If the Planning Commission finds difficulty in accommodating the entire labour force, for the backlog of unemployment you can create a special fund to cater to the needs of those unemployed people. Several State Governments have already started giving unemployment allowance or they have started employment schemes which you can also adopt and thus provide jobs to everybody in this country. This way you can earn peace and make progress because the economic system has not served our purpose, and you have seen the demand from several Members here that it rquires a close look. Why is it that the economic system has not served our purpose? If it is necessary to change it, we should do it, and take a bold step and see that all the schemes that you are launching are strictly implemented. But this requires political will, political courage, to face those who are standing in the way of speedy implementation of these schemes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I call upon Mr. Namgyal, the next speaker, I would like to say that two hours are allowed for this discussion, and this period is over. There are 10 more speakers still to speak.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: I think we can extend it by one hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Therefore, we can extend the discussion by one more hour. I hope the House agrees to extending this discussion by one more hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

SHRI SUDHIR GIRI: Sir, what about my Resolution?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your Resolution is safe. Even if it is taken up next time, it will continue to be the first. The rules permit it. Therefore, your Resolution does not get lost. Under Direction 9A, it can be there.

I would like every Member not to take more than 8 to 10 minutes. Now, Mr. Namgyal may speak.

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे टाइम दिया जो रिजोल्यूशन श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ने एबान में रखा है। मैं इसकी ताईद करते हुए चन्द बातें कहना चाहता हूं।

जहां तक राइट टू वर्क का सवाल है यह होना चाहिये। लेकिन किस ढंग से होना चाहिये, कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिये इसमें काफी सोच विचार की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अन-एम्पलायमेंट को चाहे एजूकेटेड की बात हो या अन-एजूकेटेड की बात हो, इस मसले को हम कभी सोल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम फैमिली प्लानिंग की तरफ ध्यान न दें हमारी पोपूलेशन का जो एक्सप्लोजन होता जा रहा है, उसको कंट्रोल करने का कोई तरीका जब तक न सोचा जाये यह नहीं हो सकता। आपको पता है कि हर साल हमारे मुल्क में 2 क़रोड़ 20 लाख नये इन्सानों की नेट पोपूलेशन बढ जाती है। उसके लिये हमारे पास जितने प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें उन को एम्पलायमेंट देना, खाना देना, या रोटी, कपडा और घर का जो मसला है, वह हम हल नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी मैं फैमिली प्लानिंग को समझता हूं और इस पर टापमोस्ट जोर देना चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Namgyal, before you speak on family planning you must announce the number of children that you have. Only then you will be qualified to speak.

SHRI P. NAMGYAL: I have only three. But so far as my Constituency is concerned, its area is roughly one lakh square kilometres and the people living there are about 30,000. So, there is a great scope for more population. Therefore, I do not believe in family planning so far as my area is concerned.

दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा था वह यह है जैसा और भी मेरे मुअज्जिज साथियों ने कहा है कि हमारे मुल्क की 76 फीसदी आबादी एग्रीकल्चर सैक्टर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। उसके लिये लैंड रिफार्म का होना बहुत जरूरी है। लैंड रिफार्म कई स्टेट्स में बहुत पहले से इम्प्लीमेंट किया गया है, जैसा कि जम्मू काश्मीर है। लेकिन वैसा लैंड रिफाम भी नहीं होना चाहिय जैसे जम्मू काश्मीर स्टेट में है। उस लैंड रिफार्म में एक ऐसा नुक्स है कि जो लैंड ओनर्स थे, वह लैंडलैस बन गये और जो लैंडलैस थे वह ओनर बन गये। एक जगह से एक को हटाकर दूसरे को आबाद करना भी नहीं होना चाहिये। इसके लिये मिनिमम लैंड सीलिंग फिक्स होनी चाहिये। हमारी एग्रीकल्चर लैंड रिफार्म के लिये मैक्सिमम सीलिंग लिमिट तो है, लेकिन इसके लिये मिनिमम लिमिट भी होनी चाहिये। अगर लैंड रिफार्मड एक्ट में Lower Limit न रखी जाये तो वह अन इक्नामिकल हो जाती है। यह भी एक गंभीर मसला है। इसलिये लैंड रिफार्म का सही ढंग से होना बहुत जरूरी है।

अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के 20-सूत्री प्रोग्राम को गौर से पढ़ेंगे और आग इम्लीमेंट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई वजह नहीं है कि हमारे मुल्क की अन-एम्प्लायमेंट का मसला हल न हो जाये। इसमें सबसे ज्यादा जोर Stress फैमिली प्लानिंग, एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर है। बाकी मादा प्वाइन्ट प्रोग्राम में जो है,

अगर सिन्सियरली हम उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे तो यह मसला हल किया जा सकता है। लेकिन अकेले प्राइम मिनिस्टर साहब की दौड़ धूप से हमारे मसले हल नहीं होंगे। जब तक हम लोग चाहे इधर के हैं या उधर के हैं, सभी को मिलकर सिंसियरली काम न करें लहदा जरूरत इस बात की है हम सब को मिलकर Sincerely काम करने की जरूरत है।

जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया मेरी कांस्टीटुएन्सी में पापुलेशन बहुत कम है लेकिन उसके बावजूद अन-एम्प्लायमेंट का मसला है। जितने भी सौ-पचास एजूकेटेड लोग वहां पर निकले हैं, उनको भी अभी तक एम्प्लायमेंट नहीं मिल सका है। अव्वल तो जो टैक्निकल कालेजेज है उनमें दाखला मिलना ही मुश्किल रहता है। मेडिकल कालेज में एडमीशन का ही मसला लीजिये। हमारे स्टेट में चार साल मुतवातिर तो कैंडीडेट मेरिट पर आये थे उनको नहीं लिया गया बल्कि सेलेक्शन सिफारिशें और पोलिटीकल Consideration से किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने मुतवातिर चार साल जम्मू कश्मीर में सेलेक्शन लिस्ट को स्ट्राईक डाउन किया लेकिन चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में लेह में आफिसर्स की एक मीटिंग में कहा है कि चाहे मैं खत्म हो जाऊं लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव है उनको नहीं मानूंगा। इन हालत में मैं तो नहीं समझता कि अन-एम्प्लायमेंट का मसला हल हो जायगा। और खास कर मेरी कांस्ट्रीटुएन्सी जिस में बहुत थोड़े से लोग पढे लिखे है लेकिन उनके एम्प्लायमेंट का जो मसला है इन हालत में वह भी हल होने वाला नहीं है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यही वजूहात है जिसकी वजह से आज असम में एजिटेशन हो रहा है शुरू शुरू में जैसा कि कहा गया था मरे साथी मुझे माफ करेंगे कहते हैं कि वहां के लोग काम नहीं करते हैं इसीलिये बाहर से वहां पर काम करने वाले लोग जाते थे और थोड़े से पैसों पर नौकरी कर लेते थे लेकिन अब वहां पर एक स्टेज आ गई है कि बाहर से ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर दाखिल हुए और नतीजा यह एजिटेशन आपके सामने है। इसलिये सेंसिटिव ट्राइबल और बार्डर एरियाज की तरफ सरकार को ज्यादा तवज्जह देने की जरूरत है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर जी ने एक बात यह कही है कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनको एबालिश होना चाहिये और हर जगह एक ही स्टैण्डर्ड की तालीम दिलाई जानी चाहिये। मैं उनकी इस बात को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं क्योंकि पब्लिक स्कूल्स में सैलरीड परसन्स और इन्कम टैक्स पेयर्स के बच्चे ही पढ़ सकते हैं और अच्छी तालीम के बाद उन्हें अच्छी नौकरी भी मिलती है। नतीजा यह होता है कि रूरल एरियाज के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मौका ही नहीं मिलता है। लिहाजा एजूकेशन पालीसी में भी तरमीम करने की निहायत जरूरत है। जब तक पब्लिक स्कूल्स रहेंगे, यह मसला और भी बढता चला जायेगा। अभी भी वक्त है सरकार इसकी तरफ ध्यान दे।

सर्विसेज में रिटायरमेंन्ट एज का जहां तक सवाल है, ज्यादातर स्टेट्स में यह 55 साल है और सेन्ट्रल सर्विसेज में 58 साल है और कई जगह पर 60 साल भी है। मेरा सुझाव यह है कि मुल्क की सारी सर्विसेज में खवाह वह सेन्टर की हो, आर्मी सर्विसेज हो या कोई भी सर्विस हो सभी में एक यूनिफार्म रिटायरमेंन्ट एज होनी चाहिये और मेरी राय से 55 साल होनी चाहिय। इससे फायदा यह होगा कि बहुत सारे लोगों को जल्दी

[श्री पी० नामग्याल]

नौकरी का मौका मिल जायेगा । यदि 55 साल की उम्र पर लोग रिटायर होंगे तो अनएम्लायमेंट का भी मसला कुछ हद तक हल हो जायेगा ।

यही दो चार बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था । श्री चन्दूलाल चन्द्राकर जी ने जो रिजोल्यूशन पेश किया है, मैं उसकी ताईद करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उनको कुछ न कुछ इसका हल निकालना पड़ेगा । धन्यवाद ।

[شری پی - نام گیال (لداخ) :

جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب - میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا - جو ریزولیشن شری چندو لال چندراکر نے ایوان میں رکھا ہے میں اس کی تائید کرتے ہوئے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں -

جہاں تک رائیٹ ٹو ورک کا سوال ہے یہ ہونا چاہئے - لیکن کس حد تک ہونا چاہئے کیسے امپلیمینٹ کرنا چاہئے اس میں کافی سوچ وچار کی ضرورت ہے - میں سمجھتا ہوں کہ ان ایمپلائمینٹ کو چاہے ایجوکیٹڈ کی بات ہو یا ان ایجوکیٹڈ کی بات ہو اس مسئلے کو ہم کبھی سولو نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم فیملی پلاننگ کی طرف دھیان نہ دیں - ہماری پاپولیشن کا جو ایکسپلوزن ہوتا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ جب تک نہ سوچا جائے یہ نہیں ہو سکتا -

آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال ہمارے ملک میں دو کروڑ بیس لاکھ نئے انسانوں کی نیٹ پاپولیشن بڑھ جاتی ہے - اس کے لئے ہمارے پاس جتنے پروجیکٹس ہیں ان میں ان کو ایمپلائی مینٹ دینا ، کھانا دینا یا روٹی ، کپڑا اور گھر کا جو مسئلہ ہے وہ ہم حل نہیں کر سکتے ہیں - سب سے پہلے ضروری میں فیملی پلاننگ کو سمجھتا ہوں اور اس پر آتاپ موسٹ زور دینا چاہئے -

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Namgyal, before you speak on family planning you must announce the number of children that you have. Only then you will be qualified to speak.

SHRI P. NAMGYAL: I have only three. But so far as my Constituency is concerned, its area is roughly one lakh square kilometres and the people living there are about 130,000. So, there is a great scope for more population. Therefore, I do not believe in family planning so far as my area is concerned.

دوسری بات جو میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے جیسا اور بھی معزز ساتھیوں نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کی ۷۶ فیصدی آبادی ایگریکلچر سیکٹر پر ڈیپینڈنٹ ہے - اس کے لئے لینڈ ریفارمز کا ہونا بہت ضروری ہے - لینڈ ریفارمز کئی اسٹیٹس میں بہت پہلے سے امپلیمینٹ کیا گیا ہے جیسے کہ جموں کشمیر ہے - لیکن ویسا لینڈ ریفارمز بھی نہیں ہونا چاہئے - جیسے جموں و کشمیر سٹیٹ میں ہے اس لینڈ ریفارمز

کے ہیں سبھی کو مل کر سنسیرلی کام نہ کرے لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم سب کو مل کر *Sincerely* کام کرنے کی ضرورت ہے -

جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا میری کانسٹی چیونسی میں پاپولیشن بہت کم ہے لیکن اس کے باوجود ان ایمپلائی میلنٹ کا مسئلہ ہے - جتنے بھی سو پچاس ایجوکیٹڈ لوگ وہاں پر نکلے ہیں ان کو بھی ابھی تک ایمپلائی میلنٹ نہیں مل سکا ہے - اول تو جو ٹیکنیکل کالجز ہیں ان میں داخلہ ملنا ہی مشکل رہتا ہے - میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کا ہی مسئلہ لیجئے - ہمارے سٹیٹ میں چار سال متواتر جو کینڈی قیت میرٹ پر آئے تھے ان کو نہیں لیا گیا بلکہ سلیکشن سفارش اور پولیٹکل *consideration* سے کیا گیا اور سپریم کورٹ نے متواتر چار سال جموں کشمیر میں سلیکشن لسٹ کو اسٹراک ڈاون کیا لیکن چیف منسٹر نے حال ہی میں لہہ میں آفیسرس کی ایک میٹنگ میں کہا ہے کہ چاہے میں ختم ہو جاوں لیکن سپریم کورٹ کا جو ڈائریکٹو ہے اس کو نہیں مانوں گا - ان حالات میں میں تو نہیں سمجھتا کہ ان ایمپلائی- میلنٹ کا مسئلہ حل ہو پائے گا - اور خاص کر میری کانسٹی چوینسی میں ایک ایسا نقص ہے کہ جو لینڈ آنرز تھے وہ لینڈ لیس بن گئے اور جو لینڈ لیس تھے وہ آنر بن گئے - ایک جگہ سے ایک کو ہٹا کر دوسرے کو آباد کرنا بھی نہیں ہونا چاہئے - اس کے لئے منی مم لینڈ سیلنگ فکس ہونی چاہئے - ہماری ایگریکلچر لینڈ ریفارمز کے لئے میکسیمم سیلنگ لمٹ تو ہیں لیکن اس کے لئے منی مم لمٹ بھی ہونی چاہئے - اگر لینڈ ریفارمز ایکٹ میں *lower limit* نہیں رکھی جائے تو وہ ان اکنومکل ہو جاتی ہیں - یہ بھی ایک گمبھیر مسئلہ ہے - اس لئے لینڈ ریفارمز کا صحیح ڈھنگ سے ہونا بہت ضروری ہے -

اگر ہم اپنے پرائم منسٹر صاحب کے ۲۰ سوتری پروگرام کو غور سے پڑھیں گے اور امپلیمنٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی ان ایمپلائی میلنٹ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے - اس میں سب سے زیادہ زور (*Stress*) فیملی پلاننگ ایگریکلچر اور ایریگیشن پر ہے - باقی ماندہ پوائنٹ پروگرام میں جو ہے اگر سنسیرلی ہم انہیں امپلیمنٹ کریں گے تو یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے - لیکن اکیلے پرائم منسٹر صاحب کی دوڑ دھوپ سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک ہم لوگ چاہے اِدھر کے ہیں یا اُدھر

اور اچھی تعلیم کے بعد انہیں اچھی نوکری بھی ملتی ہے - نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رورل ایریاز کے سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو موقعہ ہی نہیں ملتا ہے - لہذا ایجوکیشن پالیسی میں بھی ترمیم کرنے کی نہایت ضرورت ہے - جب تک پبلک اسکول رہیں گے یہ مسئلہ اور بھی بڑھتا چلا جائے گا - ابھی بھی وقت ہے سرکار اس کی طرف دھیان دے -

سروسز میں ریٹائرمینٹ ایج کا جہاں تک سوال ہے زیادہ تر اسٹیٹس میں یہ ۵۵ سال ہے اور سینٹرل سروسز میں ۵۸ سال ہے اور کئی جگہ پر ۶۰ سال بھی ہے - میرا سجھاو یہ ہے کہ ملک کی ساری سروسز میں خواہ وہ سینٹر کی ہو آرمی - فورسز ہوں یا کوئی بھی سروسز ہو سبھی میں ایک یونیفارم ریٹائرمینٹ ایج ہونی چاہئے اور میری رائے سے ۵۵ سال ہونی چاہئے - اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو جلدی نوکری کا موقع مل جائے گا - یدی ۵۵ سال کی عمر پر لوگ ریٹائر ہوں گے تو ان ایمپلائی مینٹ کا بھی مسئلہ کچھ حد تک حل ہو جائے گا -

یدی دو چار باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا - شری چندو لال چندراکر جی نے جو ریزولیشن پیش کیا ہے میں اس کی تائید کرتا

[شری پی - نام گیال]

جس میں بہت تھوڑے سے لوگ پڑھے لکھے ہیں لیکن انکے ایمپلائی مینٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ان حالات میں حل ہونے والا نہیں ہے - سرکار کو اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے - یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج آسام میں ایجی ٹیشن ہو رہا ہے - شروع شروع میں جیسا کہ کہا گیا تھا - میرے ساتھی مجھے معاف کریں گے - کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کام نہیں کرتے ہیں اس لئے باہر سے وہاں پر کام کرنے والے لوگ جاتے تھے اور تھوڑے سے پیسوں پر نوکری کر لیتے تھے لیکن جب وہاں پر ایک اسٹیج آ گئی ہے کہ باہر سے زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں داخل ہوئے اور نتیجہ یہ ایجی ٹیشن آپ کے سامنے ہے - اس لئے سینسی ٹیو ٹرائبیل اور بارڈر ایریاز کی طرف سرکار کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے -

شری چندو لال چندراکر جی نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جو پبلک اسکول ہیں ان کو ابولش ہونا چاہئے اور ہر جگہ ایک ہی اسٹینڈرڈ کی تعلیم دی جانی چاہئے میں ان کی اس بات کو پوری طرح سے سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ پبلک اسکول میں سیلریڈ پرسنس اور انکم ٹیکس پیئرس کے بچے ہی پڑھ سکتے ہیں

ھوں اور منتری جی سے نویدن کرتا
ھوں کہ ان کو کچھہ نہ کچھہ اس کا
حل نکالنا پڑے گا - دھنیہ واد -
[(ختم)

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhogendra Jha. You can move your amendment and speak also.

SHRI BHOGENDRA JHA (Madhubani): Mr Deputy-Speaker, Sir, I do formally move my amendment which I could not move earlier.

I beg to move:

That in the resolution,—

add at the end—

"ensuring one persons one job for every adult citizen of the country."

On this issue of "right to work", there cannot be two opinions in this House or in the country. But the problem is how we can ensure it. It is also well-known that as long as the capitalistic system is there, as long as the present social order is established, there cannot be durable solution to the unemployment problem. It is because when a class which does not work amasses the wealth produced by a large number of others, that very class in order to increase the value of its own wealth, creates inflation and, when the purchasing power is less and the worker becomes the victim of recession, again, to ensure profits, it combines the two in the form of stagnation. And in all these processes, those who are hit are the producers of wealth, the toilers who work in fields or factories or offices or anywhere. That is well-known. I am not going to emphasise that joint because that can be solved only after the overthrow of the system, the capitalistic social order.

For that, I can squarely blame the ruling party. But if they blame us, I cannot deny this because I will plead guilty that we have not been in a position to overthrow this system and we have not been in a position to rouse the toilers of the country to rise to a revolution and overthrow the system in the country. I also plead guilty for our inability to rouse the toiling masses of our country.

Here, what I would submit under the present circumstances is what can possibly be done. Formally, we can get it incorporated in the Constitution. If the ruling party agrees to it and, when there is a resolution moved by a General Secretary of the ruling party, it is supposed that they mean what they say. I think, because there has been no whip to bar the moving of this resolution, we do take it and the country could take it that the ruling party now is committed to it, that it will come forward with a formal Bill to get it incorporated in the Fundamental Rights Chapter of our Constitution. Otherwise, it will be plain hypocisy; it will be plain wasting of our time and cheating of the people. I think the whole House unanimously approves of it.

I want to submit something more. Suppose we incorporate it in the Constitution. But there are no jobs, not because there in dearth of jobs but because of our system and the capitalistic social order. Even the remnants of social order do not permit crea of jobs, the capacity to re-create jobs to get people employed in productivity. That is the problem. That is why I have moved the amendment that "one-person-one-job" should be ensured. What is the present position? Whenever there is any advertisement for out of the total number of applicants, almost 80 per cent are those who are already in jobs. So, the remaining 20 per cent who are actually unemployed mostly remain unemployed, because those who are in job, do apply for new job, better job, whatever it is which they think is a more suitable job.

Another aspect is in our society, a section of the people—I am talking of the middle class—in the political line, administrative line, judicial line, or even business line, they have several professions at the same time. One may be owning 20 acres of land and he is roaming about because he

is unemployed. Till the land, at least, No, he will not till the land. Land is treated only as a security, not as a source of growing food or developing the wealth of the country.

So, some method the country will have to evolve so that a person may choose the main profession of his or her life. Suppose I have got Rs. 500 p.m. income and I have got land. Why cannot I cultivate the land? But I will never like that my children should cultivate or till the land. I do not think that a III Grade or IV Grade employee will dream that his or her children should become cultivators. They do not like it. Then why should you own the land? And those who actually want to till the land, they have no land. That way, our agriculture suffers. Production on the farm suffers and wherever you are, you also do not spend your money on productive endeavour, for self-employment.

Fortunately, in Punjab, Haryana and Delhi, one important factor is, that the people came and settled here as refugees from the Western part of India.

Otherwise, if you go to the Eastern side of the country, you will find that the problem is same everywhere. The problem is not a single retired engineer or professor can have self-employment. Even for personal benefit, they like that they should not retire even after death. For that, they meet this MP, that MP, this Minister, that Minister. That is another thing. Or they purchase some land or some building.

The productive effect is most important for producing wealth in the country and for humanity. That is the problem. That is why, I say that we should provide for some legislation where a person should be compelled to choose the best possible profession, according to his capacity for his life and wherein he can utilise his energy or his resources and talent for reconstructing our country.

One aspect is that everyone should get a job for himself. The main thing is that the energy of the entire youth of the country should be employed for reconstructing the country. That is much more important. Our Parliament or sovereign people also have got no power to bring back that lost youthful vigour. That one should do. That is why, one person, one job and then guaranteed productive employment as a fundamental right-if you combine this in the present capitalist system, to some extent, we can go ahead and those who cannot get service for self-employment, Government can provide him with the means, instruments and money so that through self-employment they can maintain themselves and produce sufficiently for the country also. These have to be combined and these alone can, to some extent, enable us to solve and to tackle our socio-economic problems. That is why I submit and again I repeat that if the resolution has been seriously moved, the ruling party should come forward with an amending Bill for the consideration of the House.

श्री **चन्द्रपाल शेलानी** (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी श्री चन्दूलाल चन्द्राकर जी का बड़ा आभारी हूं और उनको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज देश के सर्वोच्च सदन में एक ऐसा संकल्प प्रस्तुत किया है, जिसका सीधा संबंध देश के करोड़ों-करोड़ शोषित, सर्वहारा, दलित, गरीब मजदूर, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों से है।

मैं ऐसा महसूस करता हूं कि श्री चन्दूलाल चन्द्राकर जी ने इस देश की आधे से अधिक जनसंख्या के लोगों के हृदय को छू कर, उनकी कठिनाइयों को समझकर और उनकी वेदनाओं को समझकर यह संकल्प प्रस्तुत किया है। श्रीमन्, 'काम का अधिकार' संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए—इसलिए यह संकल्प पेश किया गया है। मेरे जैसा छोटी बद्धि का आदमी य

मान कर चलता है कि काम का अधिकार जन्म-सिद्ध अधिकार है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आदमी को काम नहीं मिलेगा तो वह किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेगा, किस तरह से अपने खर्च को चलाएगा और कैसे अपना जीविकोपार्जन करेगा ।

श्रीमन, हमारे भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है—राईट टू इक्वेलिटी, समता का अधिकार । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आज हम समान है ? क्या इस मुल्क में असमानता नाम की कोई चीज नहीं है ? हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं और देखते हैं कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर असमानता इस मुल्क में विद्यमान है जबकि भारत के संविधान में समता का अधिकार मौजूद है। हमारे संविधान में राईट टू फ्रीडम स्वतन्त्रता का अधिकार भी है लकिन क्या हम स्वतन्त्र है। रात को 1 बजे या 2 बजे कोई यात्री ट्रैन से उत्तर कर आता है, तो मामूली सा सिपाही उस को डंडे मार कर बन्द कर देता है दफा 109 में। क्या यह स्वतन्त्रता है ?

तीसरे हमारें संविधान में अधिकार राईट एगेन्स्ट एक्सप्लाएटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार । क्या हम शोषण से मुक्त हैं ? क्या हमारा शोषण नहीं हो रहा है। मैं आज इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि इस दश में गरीब और कमजोर लोगों का तरह तरह से शोषण होता है और हो रहा है। आये दिन इस सदन में और देश में यह बात दखने को मिलती है ।

चौथा है धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार राईट टू फ्रीडम आफ रिलीजन। क्या हम धार्मिक रूप से स्वतन्त्र है ? आज भी मंदिरो में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों, अछूतों को गिरिजनों को प्रवश नहीं करने दिया जाता है। धार्मिक पूजा पाट करने का क्या हमारे पास अधिकार है और क्या हम धार्मिक रूप से स्वतन्त्र हैं ?

पांचवा है कल्चर एण्ड एजूकेशन का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार । क्या इस देश में जो बच्चा पैदा होता है, उस प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा और समान संस्कृति का अधिकार प्राप्त है ? इस दश में बहुत बड़ी तादाद मे लोग हैं, जिन के बच्चे नगरपालिका और जिला परिषदों के स्कूलों में पढते है और वहां के अध्यापको की क्या हालत है, मैं इस को बयान नहीं करना चाहता और इसी मुल्क में ऐसे लोग भी हैं, जिन के बच्चे कन्वेट और पब्लिक स्कूलो में पढते हैं । क्या शिक्षा और संस्कृति का हम को समान अधिकार है ? क्या सब को समान अधिकार इस मामले में है ।

छठा है राईट टू प्रापर्टी, सम्पत्ति का अधिकार । 15 अगस्त 1947 से पहले इस देश में टाटा, बिरला, डालमिया, मोदी और सिधानिया की हालत को देखिये और आज उन की हालत को दखिये । सम्पत्ति का अधिकार तो गिने चुने लोगों के लिय ही है और इस देश के बहुसंख्यक लोगों के लिये नहीं है ।

सांतवा है राईट टू कांस्टीट्यूशनल रेमडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार । यह भी अधिकार खास लोगों के लिय ही है और देश की जो साधारण जनता हैं, उस को इस का फायदा नहीं मिला है। मेरा सरकार से निवदन है कि अगर 'काम के अधिकार' को इन 7 अधिकारो

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

के अलावा आठवां अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया जाए, तो कौन सा गजब हो जायेगा, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा और कौन सा आकाश टूट पड़ेगा। बावजूद इसके मैं यह मानता हूं कि आज देश में परिस्थिति ऐसी है, आज देश में माहौल ऐसा है और आज देश में ऐसी स्थिति बन गई है कि हमारी सरकार हर आदमी को रोजगार नहीं दे सकती। इस के भी कारण है और एक कारण यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति दूषित है। हम ने जोब ओरियन्टेड एजूकेशन को नहीं अपनाया है। किताबी ज्ञान हम को मिलता है, जिस का नतीजा यह होता है कि जो बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढते है, कन्वेन्ट स्कलों में पढतें है और जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं, वे अच्छी अच्छी पोस्टो पर चल जाते है और गरीब अपनी जगह पर जहां का तहा रहता है।

18.01 hrs.

श्रीमान, चन्दूलाल चन्द्राकर साहब न जो संकल्प पेश किया है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारो में सम्मिलित किया जाये। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि काम के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित करने के लिये कार्यवाही करे।

यह बात सही है कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज की तारीख में लगभग दो करोड़ शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Shailani—you will be concluding in one minute or so? One or two minutes.... All right, you can continue next time.

The House stands adjourned to reassemble at 11 a.m. tomorrow-Saturday. We have got the House tomorrow.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: On Saturday also you are taxing us.

18.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, the 19th March, 1983/28th Phalguna, 1904 (S).